राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

आबकारी निगरानी संख्या – 473/2014/बाड़मेर

कमल सिंह पुत्र श्री भीख सिंह,
निवासी–तिबनियार, तहसील–शिव,
जिला–बाड़मेर, राजस्थान। .....प्रार्थी

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह, पुत्र श्री बन्ना सिंह,
डोंडा–पोस्ट समूह, बाड़मेर, प्रथम।
2. आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर।
3. जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेर।

.....अप्रार्थीगण

खण्डपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता .....प्रार्थी की ओर से

श्री अशोक ठकराल,
श्री बी.एल.गुलेरिया,
श्री डी.पी.गोस्वामी।
अभिभाषकगण। ..अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अधिवक्ता **अप्रार्थी संख्या–2 व 3की ओर से**

निर्णय दिनांक–04.03.2015

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से आयुक्त आबकारी राजस्थान, उदयपुर (जिसे आगे ''आयुक्त'' कहा जायेगा) के अपील सं. 3/2014 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति वर्ष 2014–15 के तहत् डोडा पोस्त के संयुक्त समूह (उपभोग क्षेत्र में थोक एवं खुदरा दुकान तथा उससे संबद्व उत्पादन क्षेत्र में थोक) हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने के लिए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों से आवेदन पत्र जरिए **विज्ञप्ति कमांक –प.23(1)आब/लेखा/2014/629 दिनांक 31.01.2014** आमंत्रित किये गये। उपर्युक्त अंकित जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या–1 व अन्य द्वारा डोडा पोस्त संयुक्त समूह बाड़मेर–प्रथम, एवम् उत्पादन क्षेत्र थोक निम्बाहाड़ा–प्रथम के लिये नियमानुसार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। इस संबंध में जिला–कलक्टर, बाड़मेर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा **निकाली गयी लॉटरी में डोडा पोस्त संयुक्त समूह, बाड़मेर–प्रथम एवम् उत्पादन क्षेत्र थोक निम्बाहाड़ा–प्रथम के लिये आवेदक अप्रार्थी संख्या–1 को सफल आवेदक एवम् प्रार्थी को प्रथम आरक्षित के रूप में चयन किया गया एवम्** श्री महेन्द्रसिंह के पक्ष में वर्ष 2014–15 के लिये डोडा पोस्त संयुक्त बाडमेर प्रथम के संचालन हेतु स्वीकृति/अनुज्ञापत्र कमांकः– **आब/डो.पो/2014–15/2103 दिनांक 18.02.14 जारी किया गया**। इसी दौरान

लगातार.....2

स्वीकृति जारी होने के पश्चात् दिनांक 22.02.2014 को श्री मोहनसिंह पुत्र रामसिंह, अधिवक्ता, जाति–राजपूत, निवासी–आंरग, तहसील–शिव,जिला–बाड़मेर द्वारा जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेर (जिसे आगे "आबकारी अधिकारी" कहा जायेगा) के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी कि पोस्त–डोडा समूह बाड़मेर–प्रथम एवम् निम्बाहेड़ा–प्रथम के लिए चयनित सफल आवेदक अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्व पुलिस–थाना, ब्यावर सिटी में अभियोग संख्या 269/2010 अधिनियम की धारा 19/54 के तहत् दर्ज हुआ जिसे माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट ब्यावर, जिला अजमेर द्वारा जरिये आदेश दिनांक 24.07.2010 के माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 को दोषी घोषित किया गया था। इस प्रकार निविदा की शर्तानुसार जारी ठेका जो वर्ष 2014–15 के लिये जारी किया गया था, निरस्त किया जाये। आबकारी अधिकारी ने उक्त प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रकरण के संबंध में श्री मोहन सिंह को दर्ज करवायी गयी शिकायत के संबंध में अन्य कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने व अप्रार्थी संख्या–1 को जारी विज्ञप्ति संख्या–629 दिनांक 31.01.2014 के संबंध में जारी दिशा–निर्देश एवम् शर्त की बिन्दु संख्या–2(ii) का उल्लंघन करने के कारण जारी अनुज्ञापत्र को निरस्त करने से पूर्व अपना पक्ष रखने हेतु व माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 24.07.2010 के जरिये अप्रार्थी संख्या–1 को दोषी सिद्व करने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। श्री मोहन सिंह व अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा जारी नोटिस की पालना में जवाब प्रस्तुत किये गये। आबकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार करने तथा इस संबंध में अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, यह अवधारित किया कि पोस्त डोडा संयुक्त समूह बाड़मेर प्रथम के लिए आमंत्रित निविदाओं में अंकित दिशा निर्देश एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 2 व आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा के बिन्दु संख्या 2 में आवेदक द्वारा की गयी घोषणा कि **"मैं आबकारी विभाग का बाकीदार नहीं हूँ तथा अनुज्ञापत्र धारण करने के लिए किसी प्रकार अयोग्य नहीं हूँ"**। परन्तु अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये गलत रूप से यह घोषणा की गई कि वह किसी प्रकार से अयोग्य नहीं है। वस्तुततः ऐसी स्थिति में, जब अप्रार्थी संख्या–1 की जानकारी में यह तथ्य था कि उसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, ब्यावर द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या 1050/2010 में दोषसिद्व (Convicted) घोषित किया गया है तथा परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत परिवीक्षा पर छोड़ा गया है। आबकारी अधिकारी ने यह अवधारित किया कि यदि श्री महेन्द्रसिंह की मंशा साफ होती तो वह इस तथ्य का उल्लेख आवेदन पत्र में अवश्य करता तथा इस संबंध में आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत करता कि परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार वह अयोग्य

लगातार.....3

नहीं है, किन्तु महेन्द्रसिंह द्वारा जानबूझ कर, उक्त तथ्य को छुपाया (Conceal) गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या–1 श्री महेन्द्रसिंह दोषसिद्व होने के साथ साथ तथ्य को छुपाने व आबकारी विभाग के साथ छलपूर्ण व्यवहार (fraudulent manner) करने का भी दोषी होना अवधारित किया गया। श्री महेन्द्रसिंह अवैधरूप से शराब परिवहन करते पकड़ा गया था तथा उसे माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्व घोषित किया गया था। महेन्द्रसिंह द्वारा अपने कृत्य से राजस्व को नुकसान पहुचाया गया था।

आबकारी अधिकारी द्वारा **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सिविल रिट पिटिशन न. 3827/09 तारासिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के पैरा संख्या 11 से 20** में माननीय न्यायलाय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कि **"आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में तथ्यों को छुपाना अपने आप में विभाग के साथ छल–कपटपूर्ण व्यवहार का घोतक है तथा इस आधार पर अनुज्ञापत्र/स्वीकृति निरस्त करना सर्वथा न्यायसंगत है।"** के आलोक में, अधिनियम की धारा 34 उपधारा (घ) के अनुसार उसके पक्ष मे जारी स्वीकृति निरस्त किया जाने योग्य मानते हुये, **राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 76 (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या–1 श्री महेन्द्रसिंह पुत्र बन्नासिंह जाति रावत, निवासी राजियावास, जिला अजमेर के पक्ष मे पोस्त डोडा पोस्त संयुक्त समूह बाडमेर प्रथम एवं निम्बाहेडा प्रथम के संबंध में जारी की गई स्वीकृत कमांक –आब/पो.डो./2014–15/2103 दिनांक 18.02.14 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने संबंधी आदेश दिनांक 28.02.2014 पारित किया गया।** इसी कम में आबकारी अधिकारी द्वारा प्रथम आरक्षित आवेदक प्रार्थी अर्थात श्री कमल सिंह को वर्ष 2014–15 को डोडा पोस्त के संयुक्त समूह (उपभोग क्षेत्र में थोक एवं खुदरा दुकानात बाड़मेर प्रथम एवम् उत्पादन क्षेत्र में थोक निम्बाहेड़ा–प्रथम) हेतु निर्धारित अनुज्ञा राशि रू.5,57,59,000/– पर अस्थाई स्वीकृति जारी करने तथा निर्धारित अनुज्ञा राशि की 33.33 प्रतिशत धरोहर राशि रू.1,85,86,350/– दिनांक 03.03.2014 तक राजकोष में जमा करवाने तथा बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने की शर्त पर स्वीकृति कमांक 2250 दिनांक 28.02.2014 जारी किया गया। जिसकी पालना में प्रार्थी द्वारा उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवा दी गयी।

इसी कम में अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2014 के विरूद्व आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर आयुक्त द्वारा जरिये आदेश दिनांक 25.03.2014 के आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2014 को अपास्त कर, अप्रार्थी संख्या–1 की जप्त की गयी समस्त राशियां उसके समूह पेटे समायोजित करने तथा उसके पक्ष में अनुज्ञापत्र जारी करने तथा प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई स्वीकृति को निरस्त

लगातार.....4

करने एवम् प्रार्थी द्वारा जमा करवायी गयी समस्त राशियां उसे वापस लौटाने के ओदश जारी किये गये। उक्त पारित आदेश की पालना में आबकारी अधिकारी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी स्वीकृति को निरस्त कर, उसके द्वारा जमा करवायी गयी राशि को लौटाने संबंधी आदेश/स्वीकृति दिनांक 03.07.2014 पारित किया गया। उक्त पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह आबकारी निगरानी प्रस्तुत कर, आयुक्त द्वारा पारित आदेश को विवादित किया गया है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 को अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, अविधिक होना अवधारित कर, अपास्त करने की प्रार्थना की गयी । विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि दिनांक 22.02.2014 को आबकारी अधिकारी के समक्ष मोहनसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी–आंरग द्वारा उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत की गई कि पोस्त डोडा प्रथम एवं उत्पादन क्षेत्र थोक निम्बाहाड़ा प्रथम के लिये चयनित सफल आवेदक महेन्द्रसिंह के विरूद्ध धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर के यहॉ अभियोग संख्या 269/2010 में दिनांक 24.07.2010 को निर्णय होकर महेन्द्र सिंह को दोषसिद्ध घोषित किया गया है, इसलिये उसके प्रथम चयनित सफल आवेदक के रूप में प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया जाये। अग्रिम अभिवाक् किया कि माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्यावर जिला अजमेर (राज.) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2010 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या–1 महेन्द्र सिंह को माननीय न्यायालय द्वारा केवल धारा 4(1) प्रोबेशन ऑफ ओफेन्डर्स एक्ट परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया है इसके अतिरिक्त इस अधिनियम का कोई लाभ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी महेन्द्रसिंह को नहीं दिया गया है। कथन किया कि उक्त उक्त निर्णय दिनांक 24.07.2010 के विरूद्ध कोई अपील या निगरानी अपीलीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

कथन किया कि आबकारी अधिकारी द्वारा महेन्द्रसिंह एवं मोहनसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के तथ्य पर मनन करते हुये विधिनुसार दिनांक 28.02.2014 को आदेश क्रमांक आब/बन्दो/पो./डो/2014–15/2242 पारित कर, महेन्द्रसिंह पुत्र बनेसिंह के पक्ष में जारी अस्थायी स्वीकृति आदेश दिनांक 18.02.2014 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिसके पश्चात् प्रार्थी प्रथम आरक्षित आवेदक कमलसिंह द्वारा दिशा निर्देश एवं शर्त संख्या 6(1) अनुसार निर्धारित अनुज्ञा राशि 5,57,59,000/– की 33.33 प्रतिशत राशि को धरोहर राशि के रूप में रूपये 1,85,86,350/– को नियत अवधि में स्टेट बैंक

लगातार.....5

बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कलेक्ट्रेट बैंक के माध्यम से जमा करवा दी थी तथा उपरोक्त आदेश की पालना में 57 लाख रूपये की बैंक गारण्टी को भी निर्धारित प्रारूप में जिला आबकारी अधिकारी बाड़मेर के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया था। कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2014 के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे आयुक्त द्वारा जरिये आदेश दिनांक 25.03.2014 के द्वारा स्वीकार कर ली गई जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि राजस्थान सरकार आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते जारी की गई है। इस सम्बन्ध में पात्रता से सम्बन्धित दिशा निर्देश स्पष्ट है कि **कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 के अन्तर्गत गम्भीर अपराध का कोई मामला दर्ज हो, अथवा उसमें सजायाब हुआ हो।**''तो ऐसा व्यक्ति पात्रता के अयोग्य होगा। कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 श्री महेन्द्रसिंह को माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर जिला अजमेर (राज.) के द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत् दोष सिद्ध करार दिया गया है। अतः उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार श्री महेन्द्रसिंह अनुज्ञा पत्र धारित करने के लिये अयोग्य व्यक्ति है।

इसी प्रकार विपक्षी श्री महेन्द्र सिंह अधिनियम की धारा 34 (घ) के अनुसार भी अयोग्य व्यक्ति की श्रेणी में आता है। जिसमें भी यह स्पष्ट है कि **यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या अन्य विधि के अधीन दोषी पाया जाता है तो उसका अनुज्ञा पत्र परमीट या पास प्रदान करने वाला अधिकारी इसे रद्द या निलम्बित कर सकेगे।** कथन किया कि आबकारी अधिकारी द्वारा विधिक आदेश पारित किया गया था कि अप्रार्थी संख्या–1 डोडा पोस्त समूह के आवेदन के लिये पूर्णरूपेण अयोग्य था। उसके द्वारा यह तथ्य छिपाया गया कि वह न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित है। तथ्य छिपाने एवं शर्त संख्या 02(घ) के तहत् अपात्र होने के आधार पर अधिनियम की धारा 34 उपधारा (घ) के अनुसार उसके पक्ष में जारी स्वीकृति निरस्त किये जाने योग्य है। अतः राजस्थान आंबकारी नियम के 76(ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आबकारी, अधिकारी ने महेन्द्रसिंह के पक्ष में जारी अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया। परन्तु आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2014 में इस कानूनी स्थिति का गलत रूप से निर्वचन करते हुये अप्रार्थी महेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील को अविधिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। कथन किया कि आयुक्त द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी के प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार सजायाब होना प्रमाणित नहीं हो रहा है। जो स्पष्ट रूप से

लगातार.....6

अविधिक एवम् अनुचित है। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 19(2) में आबकारी आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार प्रदान किये गये है कि उचित कारण होने पर वे किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश पारित करत सकते है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अधिनियम की धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत् कुछ विधिक प्रश्नों के ओर अपील न्यायलय का ध्यान आकृषित किया है जिसके तहत् :– (1) धारा 41 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत् राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति जरूर है परन्तु धारा 41 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि कोई भी नियत मूल अधिनियम के क्षेत्र को विस्तारित करने के अनुलाभ के लिये विस्तारित नही किया जा सकता। (2) कि यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति की अवसान की तारीख का गलत उल्लेख कर दिया जाता है तो भी अनुज्ञप्तिधारक को इस गलती के कारण कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है। (3) किसी दो अर्थ की संरचना में से न्यायालय को वह संरचना (Interretation) स्वीकार की जानी चाहिये जो कि अधिनियम के उद्देश्यों के लिये बनी हो। (4) लाईसेन्स लेना किसी आवेदक का मूल अधिकार नही है।

उपरोक्तानुसार तथ्यों से महेन्द्रसिंह सिद्धदोष घोषित है तथा उसके द्वारा न्यायालय में उक्त अपराध को स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 34 के तहत् महेन्द्रसिंह अनुज्ञा पत्र धारण करने की योग्यता नही रखता है एवम् उक्त आधार पर आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2014 पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है।

पुनः वर्ष 2014–15 के आबकारी बन्दोबस्त के संदर्भ में चिरे हुए डोडा पोस्त के संबंध में संयुक्त समुह बाड़मेर प्रथम एवं उत्पादन क्षेत्र निम्बाहाड़ा प्रथम के लिये जो आवेदन पत्र महेन्द्रसिंह द्वारा भरा गया था उक्त आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा की शर्त संख्या III की आरे ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त में अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा यह घोषणा की गयी है कि

"

कि मैं नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट 1985 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, अनुज्ञा पत्र शर्तो व समय समय पर जारी किये जा सकने वाले विभागीय निर्देशों का पूरी तरह पालना करूंगा। मेरे द्वारा इसमें से किसी का उल्लघंन करने पर आवेदन की स्वीकृति/अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं नियमों के अन्तर्गत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी मुझे इस बात की जानकारी है।

इस घोषणा में महेन्द्रसिंह द्वारा यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वह अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की पालना करेगा

लगातार.....7

तथा उसका उल्लघंन करने पर आवेदन की स्वीकृति एवं अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकेगा। हस्तगत प्रकरण में अधिनियम की धारा 34(घ) अनुसार इस अधिनियम के किसी भी संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध के अधीन किसी भी अपराध में सिद्ध दोष हो जाने पर इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को उस अनुज्ञा पत्र को रद्द एवं निलम्बित करने का अधिकार दिया गया है। महेन्द्रसिंह को धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत् दोषसिद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया था उक्त तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साबित है उक्त अपराध संज्ञेय अपराध है व अजमानतीय अपराध है ऐसी स्थिति में धारा 34(घ) अनुसार जिलर आबकारी अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 28.02.2014 को महेन्द्रसिंह के नाम जारी अस्थायी स्वीकृति आदेश को निरस्त करने के संबंध में जो आदेश पारित किया है वह आदेश विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। जिसे अपास्त करने में आयुक्त द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है ।

तर्क दिया कि वर्ष 2014–15 के लिये डोडा पोस्त के आवेदन के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किये गये थे उसमें पात्रता के संबंध में ही बिन्दु संख्या 19(1) में यह अंकित किया गया है कि अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स, 1985 के समस्त प्रावधान यथा रूप से लागू होगे। अनुज्ञाधारी उपरोक्त एक्ट एवं नियमों की विधिवत पालना सुनिश्चित करेंगे। धारा 2(घ) का महेन्द्रसिंह द्वारा नकारात्मक विवेचन किया गया। धारा 2 (घ) का विवेचन अधिनियम की धारा 34 के परिपेक्ष्य में किया जाना आज्ञात्मक है। इसी के साथ दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या 19(1) के अनुसार भी अनुज्ञाधारी को आबकारी अधिनियम की पालना सुनिशचित करनी होगी। ऐसी स्थिति में महेन्द्र सिंह तथ्यों का गलत विवेचन कर इस बात का विधिवत फायदा नही उठा सकता है कि उसके विरूद्ध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध में उसे सिद्ध दोष होने के बावजूद भी वह इस अनुज्ञा को धारण करने की योग्यता रखता हो। अधिनस्थ न्यायालय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.02.2014 में इस तथ्य के संबंध में विस्तृत रूप से कानूनी की व्याख्या की गई है जिसके तहत् यह आदेशित किया गया है कि धारा 34 में उल्लेखित अधिनियम में दोषसिद्ध होने पर कोई भी व्यक्ति आवेदन करने के लिये पात्र नही होगा चाहे अपराध की प्रवृति कैसी भी हो। अतः उक्त तर्कों व अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर, अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में वर्ष 2014–15 के लिये जारी अनुज्ञापत्र को रद्द करने की प्रार्थना की गयी।

अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र

लगातार.....8

अन्तगर्त आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत् प्रस्तुत कर, कथन किया कि गुणावगुण से पूर्व प्रकरण को उनके द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्तियों पर निर्णित किया जाये।

तर्क दिया कि आयुक्त द्वारा पारित उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.03.2014 के पश्चात् प्रार्थी द्वारा आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर, बैकं गारण्टी लौटोन संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसके पश्चात् आबकारी अधिकारी ने प्रार्थी द्वारा जमा करवायी गयी बैंक गारण्टी व धरोहर राशि जरिये आदेश कमांक आब/पो.डो/2014/326 दिनांक 01.07.2014 के लौटाने संबंधी आदेश पारित किये गये। जो जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक नंबर 419757 दिनांकित 09.07.2014 बाबत् राशि रू. 1,85,86,350/– शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बाड़मेर के वापस लौटा दिये गये।

अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से विद्वान अभिभाषकगण द्वारा तर्क दिया गया कि सुसंगत विधि के प्रावधानों व विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों की रोशनी में यह निवेदन है कि प्रार्थी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत उक्त निगीरानी प्रार्थना पत्र मे विहित बिन्दु पोस्त डोडा संयुक्त समूह बाड़मेर प्रथम एवं निम्बाहेडा प्रथम के बाबत् अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत् कोई भी आवेदक की क्षमता निर्धारित करने हेतु अपेक्षित उक्त वर्णित अनुसार बैंक गारण्टी व धरोहर राशि जमा करवाया जाना प्राथमिक आवश्यकता है। इस संबंध में पुनः कथन किया कि प्रार्थी द्वारा स्वयं द्वारा आबकारी अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्रस्तुत की गयी बैक गारण्टी व धरोहर राशि स्वंतत्र रूप से व स्व–विवके से नियमित प्रकिया के तहत् वापस प्राप्त कर ली है। अतः स्पष्टतः उक्त अनुज्ञापत्र प्राप्ति बाबत प्राथमिक रूप से अपेक्षित आदेशात्मक प्रवाधानों की अनुपालना के अभाव मे प्रार्थी निगरानीकार का उक्त तथाकथित अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति बाबत् असक्षम होने के कारण विधि की दृष्टि में शून्य हो जाता है।

तर्क दिया कि प्रार्थी निगरानीकार द्वारा जब विधिक रूप से अपेक्षित बैंक गारण्टी व धरोहर राशि स्वयं आवेदन कर प्राप्त कर ली है तो विधि की दृष्टि मे स्पष्टतः उपधारणा बनाती है कि प्रार्थी निगरानीकार आयुक्त द्वारा पारित प्रस्तुत निर्णय/आदेश दिनांक 25.03.2014 से व्यथित नही है एवं पूर्णतया सहमत है। अतः स्पष्टतः **प्रार्थी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिक रूप से सक्षम नहीं है एवम कर बोर्ड को विधि की दृष्टि में, एवम् वर्तमान परिस्थितियों में प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र श्रवण करने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।** अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

लगातार.....9

अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर, कथन किया कि प्रकरण में गुणावगुण से पूर्व कर बोर्ड को सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त होने अथवा नहीं होने संबंधी उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति व अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तगर्त आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत् प्रस्तुत किया गया है, पर विचार कर, निर्णय किया जाना आवश्यक है। अतः अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के संबंध में अधिनिमय की धारा 9ए के विशिष्ट प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर, अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा उठायी गयी आपत्ति को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । विशिष्ट रूप से अधिनियम की धारा 34(घ) के प्रावधानों के आलोक में, आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2014 को यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण के संबंध में अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से उपस्थित अभिभाषकगण द्वारा की गयी बहस सुनी गयी। हस्तगत प्रकरण के संबंध में अप्रार्थी संख्या–1 के अभिभाषकगण द्वारा दिये गये तर्कों के आधार पर निम्नांकित प्रारंभिक आपत्तियां उठायी गयी हैं:–

1. क्या प्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानानुसार जमा करवायी गयी बैंक गारण्टी व धरोहर राशि जो आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 के निर्देशानुसार वापस ली गयी है, के पश्चात् पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 कर बोर्ड के समक्ष विवादित रह गया है ?

2. क्या प्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानानुसार जमा करवायी गयी बैंक गारण्टी व धरोहर राशि जो आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 के निर्देशानुसार वापस लेने के पश्चात् प्रार्थी कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु विधिकतः सक्षम है ?

3. क्या अधिनियम के प्रावधानानुसार जमा करवायी गयी बैंक गारण्टी व धरोहर राशि जो आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 के निर्देशानुसार वापस लेने उपरांत यह अवधारित किया जाये कि प्रार्थी पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 से संतुष्ट है ?

4. क्या अधिनियम के प्रावधानानुसार जमा करवायी गयी बैंक गारण्टी व धरोहर राशि जो आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 के निर्देशानुसार वापस लेने के उपरांत कर बोर्ड को हस्तगत प्रकरण की सुनवायी कर, निर्णय पारित करने की क्षेत्राधिकारिता रह जाती है कि नहीं ?

माननीय न्यायालयों का निरंतर यह मत रहा है कि गुणावगुण पर निर्णय

लगातार.....10

से पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अतः अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से विद्वान अभिभाषगण द्वारा ऊपर वर्णित उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्तियों पर बहस सुनी जाकर **कर बोर्ड को हस्तगत प्रकरण में सुनवायी करने की क्षेत्राधिकारिता होने अथवा नहीं होने के बिन्दु** पर सुनवायी कर, उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्तियों पर निर्णय पारित किया जा रहा है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड को अधिनियम की धारा 9ए के तहत् आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तत अपीलों/निगरानियों की सुनवायी कर, आयुक्त द्वारा पारित आदेश को किसी भी स्तर तक बदलने/संशोधित (revise) करने की अधिकारिता प्राप्त है। इस संबंध में विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि **राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 9ए(1)(बी) में 'राजस्व मण्डल की खण्डपीठ' के स्थान पर 'कर बोर्ड कीं खण्डपीठ' के संशोधन की अधिसूचना दिनांक 6.6.2007** (Substituted by No. F.2(27) Vidhi/2006 dated 6-06-2007. Published in Raj. Gaz. Part 4(Ka) dated 06-06-2007 (Act No. 6 of 2007) **के अनुसरण में** आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों/निगरानियों की सुनवाई कर, आदेश पारित करने की अधिकारिता प्राप्त है। अतः अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

अधिनियम की धारा 9ए का मूल पठन इस प्रकार है:–

9-A. Appeals and Revision.- (1) An appeal shall lie-

(a) to the Excise Commissioner from any order passed by an Excise Officer under this Act, and

(b) [to the Division Bench of Rajasthan Tax Board constituted under sec. 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003)], from any order passed by the Excise Commissioner under this Act otherwise than on appeal:

(2) Any appeal under Sub-section (1) may be preferred at any time within sixty days from the date of the order complained of.

(3) The decision of the Excise commissioner or the [Division Bench of the Rajasthan Tax Board, as the case may be, on such appeal shall, subject to the result of revision, if any, under Sub-section (4), be final.

(4) The Division Bench of the Board of Rajasthan Taxc Board may revise any order passed on appeal by the Excise Commissioner.

अब हस्तगत प्रकरण के संबंध में उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के संबंध में जो बिन्दू निर्णयार्थ शेष है वह यह कि क्या प्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानानुसार जमा करवायी गयी बैंक गारण्टी व धरोहर राशि जो आयुक्त द्वारा

लगातार.....11

पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 के निर्देशानुसार वापस ली गयी है, के पश्चात् पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 कर बोर्ड के समक्ष विवादित रह गया है ? इस संबंध में पुनः अधिनियम की धारा 9 ए (2) के अध्ययन से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक के 60 दिवस के भीतर कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये । **उक्त बिन्दु व हस्तगत प्रकरण के संदर्भ में आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष हस्तगत अपील दिनांक 28.03.2014 को अपील मय स्थगन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है।** अतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 आदिनांक तक प्रार्थी द्वारा विवादित है। अतः अप्रार्थी संख्या–1 के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

पुनः अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति कि प्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानानुसार जमा करवायी गयी बैंक गारण्टी व धरोहर राशि जो आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 के निर्देशानुसार वापस लेने के पश्चात् प्रार्थी कर बोर्ड के समक्ष विधिकतः सक्षम है ? इस संबंध में आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 का अवलोकन व अध्ययन करने के पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि प्रार्थी द्वारा जमा करवायी गयी बैंक गारण्टी व धरोहर राशि आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 में दिये गये निर्देशों के क्रम में वापस ली गयी है, प्रार्थी द्वारा स्वयम् इस संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र विभाग के किसी भी स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 25.03.2014 के पृष्ठ क्रमांक–12 के द्वितीय पैरा में इस प्रकार अंकित है:–

> **".....इसी क्रम में अप्रार्थी संख्या–2 को जारी अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाकर उनके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि को अप्रार्थी संख्या–2 को लौटाये जाने के निर्देश जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेर को दिये जाते हैं....."**

अतः उक्त वापस ली गयी राशि जो कि रू. 1,85,86,350/– है, केवल आयुक्त द्वारा निर्देशों की पालना के क्रम में है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रार्थी किसी भी स्तर तक आयुक्त द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट है। उक्त आदेश आदिनांक तक कर बोर्ड में प्रार्थी के स्तर तक विवादित है। अतः उक्त बिन्दु के संबंध में अप्रार्थी संख्या–1 के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा उठायी गयी उक्त प्रारम्भिक आपत्ति भी अस्वीकार की जाती है ।

जहां तक अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तगर्त आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रश्न है, इस संबंध में सी.पी.सी. के आदेश नियम 11 का

लगातार.....12

अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:–

Order 7 Rule 11- Rejection of Plaint- The plaint shall be rejected in the following cases:-

(a) Where it does not disclose a cause of action;

(b) Where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(c) Where the relief claimed is properly valued by the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;

1[(e)Where it is not filed in duplicate;]

2(f)Where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9:]

3[Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature for correcting the valuation or supplying the requisite stamp paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.]

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण उक्त की परिधि में नहीं आता है, अतः उक्त संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप, अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति अस्वीकार की जाती हैं तथा प्रकरण में कर बोर्ड को अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के आलोक में, सुनवायी का क्षेत्राधिकार प्राप्त होने के कारण यह पीठ गुणावगुण पर **प्रकरण दिनांक 09.03.2015 को कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के समक्ष सुनवायी हेतु नियत करती है। पक्षकारों को सूचित किया जाये।**

निर्णय प्रसारित किया गया ।

(मदन लाल)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष